

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 28, 2019/अग्रहायण 7, 1941

No. 429]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 2019/AGRAHAYANA 7, 1941

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम. 2019

- सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.052.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात: -
- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 26 के उप-विनियम (1क) का लोप किया जाये।
- 3. मूल विनियमों के विनियम 25 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"25क प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

प्राधिकृत प्रतिनिधि, वित्तीय लेनदारों की ओर से या प्रत्येक वित्तीय लेनदार, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, धारा 25क की उपधारा (3) तथा उपधारा (3क) के अनुसार मतदान करेगा ।"

4. मूल विनियमों के विनियम 37 में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—"(खक) कारपोरेट ऋणी की विलयन, समामेलन और निर्विलियन द्वारा पुनर्संरचना;"।

6155 GI/2019 (1)

- 5. मूल विनियमों के विनियम 38 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(1) समाधान योजना के अधीन देय रकम का संदाय -
 - (क) प्रक्रियागत लेनदारों को देय रकम का संदाय करने के मामले में वित्तीय लेनदारों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी; और
 - (ख) वित्तीय लेनदारों को, जिन्हें धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन मतदान करने का अधिकार प्राप्त है और उन्होने समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया था, ऐसे वित्तीय लेनदारों के मुकाबले जिन्होंने योजना के पक्ष में मतदान किया था, प्राथमिकता दी जाएगी।"।
- 6. मूल विनियमों में, विनियम 40क के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"40ख. प्ररूपों का भरा जाना

यथास्थिति, दिवाला व्यावसायिक या अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, नीचे दी गई सारणी के अधीन दिए गए प्ररूप, उनके संलग्नकों सहित अंतर्वलित प्रक्रिया या घटनाओं के प्रक्रम के आधार पर, प्रत्येक प्ररूप के सामने अनुबद्ध समय-सीमा के अनुसार बोर्ड को प्रस्तुत करेगा :-

सारणी

प्ररूप सं.	समयावधि और परिधि	किसके द्वारा	समय-सीमा
		फाइल	
		किया जाना	
		केर	
(1)	(2)	(3)	(4)
आई.पी.1	एसाइनमेंट (नियतकार्य) पूर्व - इसके अंतर्गत किसी	आई.पी.	दिवाला और शोधन अक्षमता
	दिवाला व्यावसायिक द्वारा दिवाला समाधान		(न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को
	व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक/परिसमापक/शोधन-		आवेदन) नियम, 2016 के प्ररूप 2
	अक्षमता न्यासी के रूप में नियतकार्य स्वीकार करने की		के हस्ताक्षर या इन विनियमों के
	सम्मति, दिवाला व्यावसायिक और आवेदक के ब्यौरे, उस		प्ररूप कक की सुसंगत तारीख से
	व्यक्ति के ब्यौरे, जो प्रक्रिया कराएगा, सम्मति के निबंधन,		तीन दिन के भीतर ।
	नियोजन के निबंधन, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष		
	आवेदन फाइल करना और ग्रहण किए जाने से पूर्व उसका		
	प्रत्याहरण, इत्यादि भी है ।		
सी.आई.आर.पी.1	सी.आई.आर.पी. प्रारंभ होने से लोक उद्घोषणा जारी	आई.	धारा 13 के अधीन लोक उद्घोषणा
	किए जाने तक: इसके अंतर्गत आई आर.पी., कारपोरेट	आर.पी.	किए जाने से सात दिन के भीतर ।
	ऋणी और आवेदक के ब्यौरे, न्यायनिर्णायक प्रधिकारी		
	द्वारा आवेदन को ग्रहण करना, लोक उद्घोषणा, सुझाए		
	गए प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे, संहिता और		
	कारपोरेट ऋणी को लागू अन्य विधियों के उपबंधों के		
	अननुपालन, आदि भी हैं ।		
सी.आई.आर.पी. 2	लोक उद्घोषणा से आई आर.पी. के पुष्टि/प्रतिस्थापन तक :	आई.	धारा 22 के अधीन आई.आर.पी.
	इसके अंतर्गत आई आर.पी. द्वारा लेनदारों के किसी वर्ग	आर.पी.	के पुष्टि/प्रतिस्थापन से सात दिन के
	के लिए चयनित प्राधिकृत प्रतिनिधि के ब्यौरे, कारपोरेट		भीतर ।
	ऋणी के प्रबंध को ग्रहण करना, दावों की प्राप्ति और		
	सत्यापन, लेनदारों की समिति का गठन, लेनदारों की		
	सिमिति की प्रथम बैठक, आई. आर.पी. की		
	पुष्टि/प्रतिस्थापन, प्रबंधमंडल के सहयोग की ईप्सा करने		

		1	
	संबंधी आवेदन (यदि कोई हैं), आई. आर.पी. पर या उसके द्वारा उपगत व्यय, आई. आर.पी. का कारपोरेट ऋणी, वित्तीय लेनदारों और व्यावसायिकों से संबंध, आई.पी.ई. से ईप्सित सहायता सेवाएं, संहिता और कारपोरेट ऋणी को लागू अन्य विधियों के उपबंधों के अननुपालन, आदि भी हैं।		
सी.आई.आर.पी. 3	समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति से लेनदारों की समिति के सदस्यों को सूचना ज्ञापन जारी किए जाने तक : इसके अंतर्गत समाधान व्यावसायिक के ब्यौरे, रिजस्ट्रीकृत मूल्यांककों के ब्यौरे, दिवाला समाधान व्यावसायिक को कारपोरेट ऋणी के अभिलेख सौंपना, कारपोरेट ऋणी के प्रबंध को ग्रहण करना, प्रबंधमंडल के सहयोग की ईप्सा करने संबंधी आवेदन (यदि कोई हैं), सूचना ज्ञापन में ब्यौरे, संहिता और कारपोरेट ऋणी को लागू अन्य विधियों के उपबंधों के अननुपालन, आदि भी हैं।	आर.पी.	विनियम 36 के अधीन लेनदारों की समिति के सदस्यों को सूचना ज्ञापन जारी किए जाने के सात दिन के भीतर।
सी.आई.आर.पी. 4	सूचना ज्ञापन जारी किए जाने से समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी किए जाने तक: इसके अंतर्गत हित की अभिव्यक्ति, समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध और उसका उपांतरण, मूल्यांकन मैट्रिक्स, संहिता और कारपोरेट ऋणी को लागू अन्य विधियों के उपबंधों के अननुपालन, आदि भी हैं।	आर.पी	विनियम 36ख के अधीन समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी किए जाने के सात दिन के भीतर।
सी आई आर पी.5		आर.पी.	धारा 31 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, समाधान योजना के अनुमोदन या धारा 33 के अधीन समापन के लिए आदेश जारी किए जाने के सात दिन के भीतर ।
सी.आई.आर.पी.6	विनिर्दिष्ट घटना: इसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं: क. अधिमानी संव्यवहार, न्यून-मूल्यांकित संव्यवहार, कपटपूर्ण संव्यवहार और अतिशय संव्यवहार की बाबत आवेदन फाइल करना; ख. अंतरिम वित्तपोषण जुटाना; ग. प्रत्याभूतिदाताओं की दिवाला समाधान प्रक्रिया; घ. सी.आई.आर.पी. की अविध का विस्तारण और समय	यथास्थिति, आई.आर.पी. या आर. पी.	घटना घटने के सात दिन के भीतर ।

का अपवर्जन;		
ङ. सी.आई.आर.पी. (अपील, बंदोबस्त, प्रत्याहरण आदि)		
का समयपूर्व बन्द किया जाना;		
च. सी आई.आर.पी. के पूरा होने से पूर्व समापन के लिए		
अनुरोध; और		
छ. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा यथा-अनुमोदित		
समाधान योजना का अकार्यान्वयन ।		

- (2) बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर प्ररूपों को उपलब्ध कराएगा और उन्हें समय-समय पर संशोधित कर सकता है।
- (3) यथास्थिति, दिवाला व्यावसायिक या अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक यह सुनिश्चित करेगा कि इस विनियम के अधीन फाइल किए गए प्ररूप और उनके संलग्नक सही और पूर्ण हैं।
- (4) इस विनियम के अधीन या तो सुधार, अद्यतन करके या अन्यथा प्रस्तुत किए जाने की नियत तारीख के पश्चात् प्ररूप फाइल करने पर उसके साथ 1 जनवरी, 2020 के पश्चात् विलंब के प्रत्येक मास के लिए प्रति प्ररूप पांच सौ रुपए की फीस संलग्न की जाएगी।

उदाहरण : एक प्ररूप 30 जनवरी, 2020 तक दाखिल करना आवश्यक है इसे निम्रानुसार शुल्क के साथ दायर करना होगा :

·	
यदि दायर	शुल्क (रुपए में)
29 जनवरी, 2020	0
30 जनवरी, 2020	0
31 जनवरी, 2020	500
फरवरी, 2020 में किसी दिन	1000
मार्च, 2020 में किसी दिन	1500

- (5) यथास्थिति, दिवाला व्यावसायिक या अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक
 - (i) कोई प्ररूप, अपेक्षित जानकारी और अभिलेख सहित फाइल करने में असफल रहने पर;
 - (ii) किसी प्ररूप में या उसके साथ गलत और अपूर्ण जानकारी या अभिलेख फाइल करने पर;
 - (iii) फाइल करने में विलंब करने पर;

किसी ऐसी कार्रवाई के लिए दायी होगा, जो बोर्ड संहिता या उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम के अधीन उचित समझे, जिसके अंतर्गत संबंधित दिवाला व्यावसायिक अभिकरण द्वारा प्राधिकार जारी करने या उसका नवीकरण करने से इनकार करना भी है।"

- 7. मूल विनियमों की अनुसूची में,-
- (i) प्ररूप ख, के क्रम संख्यांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रति:स्थापन किया जाएगा, अर्थात्:-

"9.	का विवरण :		
	क.	किसी प्रतिभूति, उसका मूल्य और उसकी तिथि, या	
	ख.	माल या संपत्तियों के संबंध में शीर्षक व्यवस्था का कोई भी	
		प्रतिधारण जिसका दावा "संदर्भित करता है";	

- (ii) प्ररूप ज में,-
- (क) पैरा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "7. समाधान योजना के तहत हितधारकों के लिए देय राशि निम्नानुसार है:-

					(राधि	शे रु. लाख में)_
क्रम सं.	हितधारकों का	हितधारकों का उप-प्रवर्ग	दावा की	स्वीकार की	योजना के	दावा की गई
	प्रवर्ग*		गई रकम	गई रकम	अधीन	रकम के
					प्रदान की	मुकाबले
					गई रकम#	प्रदान की
						गई
						रकम(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रतिभूत वित्तीय	(क) लेनदारों को, जिनके पास				
	लेनदारों	धारा 21 की उपधारा (2) के				
		अधीन मतदान करने का				
		अधिकार नहीं हैं				
		(ख) उपरोक्त (क) के अलावा :				
		(i) जिन्होंने समाधान योजना के				
		पक्ष में मतदान नहीं किया				
		(ii) जिन्होंने समाधान योजना के				
		पक्ष में मतदान किया				
		योग [(क) + (ख)]				
2	अप्रतिभूत वित्तीय	(क) लेनदारों को, जिनके पास				
	लेनदारों	धारा 21 की उपधारा (2) के				
		अधीन मतदान करने का				
		अधिकार नहीं है				
		(ख) उपरोक्त (क) के अलावा :				
		(i) जिन्होंने समाधान योजना के				
		पक्ष में मतदान नहीं ही किया				
		(ii) जिन्होंने समाधान योजना के				
		पक्ष में मतदान किया				
		योग [(क) + (ख)]				
3	प्रक्रियागत लेनदारों	(क) कॉर्पोरेट ऋणी के संबन्धित				
		पक्षकार				
		(ख) उपरोक्त (क) के अलावा :				
		(i) सरकार				
		(ii) कर्मकार				
		(iii) कर्मचारी				
		(iv)				
		योग [(क) + (ख)]				
4	अन्य ऋण और देय					
समस्त यो	π					

^{*} यदि किसी प्रवर्ग में उप-प्रवर्ग हों तो कृपया प्रत्येक उप-प्रवर्ग के लिए पंक्ति जोड़ें ।

[#] समाधान योजना के अधीन अतिरिक्त समय में प्रदान की गई रकम और इसके अंतर्गत गैर-नकदी घटकों का अनुमानित मूल्य भी शामिल है। यह एन.पी.वी. नहीं है।";

(ख) पैरा 9 में, धारा 30(2) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"धारा 30(2)	क्या समाधान योजना :	
	(क) में दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का संदाय किए जाने का	
	उपबंध है?	
	(ख) में प्रक्रियागत लेनदारों को संदाय किए जाने का उपबंध है?	
	(ग) में वित्तीय लेनदारों जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मत	
	नहीं दिया?	
	(घ) में कोर्पोरट ऋणी के मामलों का प्रबंधन किए जाने का	
	उपबंध है?	
	(ङ) में समाधान योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण का उपबंध	
	है?	
	(च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी उपबंध का उल्लंघन	
	करती है?"।	

डॉ. एम. एस साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./310/19]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात्

- (1) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 318, तारीख 16 अगस्त, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.013, तारीख 16 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017;
- (2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 386, तारीख 5 अक्तूबर, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.018, तारीख 5 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017;
- (3) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 432, तारीख 7 नवम्बर, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.019, तारीख 7 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017;
- (4) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 01, तारीख 1 जनवरी, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.022, तारीख 31 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017;
- (5) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 49, तारीख 6 फरवरी, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.024, तारीख 6 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018;
- (6) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 124, तारीख 28 मार्च, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.030, तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018;

- (7) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 253, तारीख 4 जुलाई, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.031, तारीख 3 जुलाई, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018;
- (8) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 372, तारीख 5 अक्तूबर, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.032, तारीख 5 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018;
- (9) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 21, तारीख 24 जनवरी, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.040, तारीख 24 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019; और
- (10) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 267, तारीख 25 जुलाई, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.048, तारीख 25 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 द्वारा संशोधन किए गए थे।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2019

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2019.

- **No. IBBI/2019-20/GN/REG052.**—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -
- 1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 26, sub-regulation (1A) shall be omitted.
- 3. In the principal regulations, after regulation 25, the following regulation shall be inserted, namely: -

"25A. Voting by Authorised Representative.

The authorised representative shall cast his vote in respect of each financial creditor or on behalf of all financial creditors he represents in accordance with the provisions of sub-section (3) or sub-section (3A) of section 25A, as the case may be.".

- 4. In the principal regulations, in regulation 37, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-
- "(ba) restructuring of the corporate debtor, by way of merger, amalgamation and demerger;".
- 5. In the principal regulations, in regulation 38, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-
- "(1) The amount payable under a resolution plan -
 - (a) to the operational creditors shall be paid in priority over financial creditors; and
 - (b) to the financial creditors, who have a right to vote under sub-section (2) of section 21 and did not vote in favour of the resolution plan, shall be paid in priority over financial creditors who voted in favour of the plan."
- 6. In the principal regulations, after regulation 40A, the following regulation shall be inserted, namely: -

"40B Filing of Forms.

(1) The insolvency professional, interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, shall file the Forms, along with the enclosures thereto, on an electronic platform of the Board, as per the timelines stipulated against each Form, in the table below:-

TABLE

Form No.	Period covered and scope	To be filed by	Timeline
(1)	(2)	(3)	(4)
IP 1	Pre-Assignment: This includes consent to accept assignment as IRP / RP, the details of IP and the Applicant, the details of the person which will undergo the process, terms of consent, terms of engagement, etc.	IP	Within three days of signing of Form-2 of the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority) Rules, 2016 or Form-AA of the Regulations, as the case may be.
CIRP 1	From Commencement of CIRP till Issue of Public Announcement: This includes details of IRP, CD, and the Applicant; admission of application by AA; public announcement; details of suggested Authorised Representatives; non-compliances with the provisions of the Code and other laws applicable to the CD; etc.	IRP	Within seven days of making the Public Announcement under section 13.
CIRP 2	From Public Announcement till confirmation / replacement of IRP: This includes details of Authorised Representative selected by IRPs for a class of creditors; taking over management of the CD; receipt and verification of claims; constitution of CoC, first meeting of CoC; confirmation / replacement of IRP; applications seeking cooperation of management (if any); expenses incurred on or by IRP; relationship of IRP with the CD, Financial Creditors and Professionals; support services taken from IPE; noncompliances with the provisions of the Code and other laws applicable to the CD; etc.	IRP	Within seven days of confirmation/replacement of IRP under section 22.
CIRP 3	From Appointment of RP till issue of IM to Members of CoC: This includes details of RP; details of registered valuers; handing over of records of CD by IRP to RP; taking over management of the CD; applications seeking cooperation of management (if any); details in IM; non-compliances with the provisions of the Code and other laws applicable to the CD; etc.	RP	Within seven days of issue of IM to members of CoC under regulation 36.
CIRP 4	From Issue of IM till issue of RFRP: This includes expression of interest; RFRP and modification thereof; evaluation matrix and modification thereof; non-compliances with the provisions of the Code and other laws applicable to the CD; etc.	RP	Within seven days of the issue of RFRP under regulation 36B.
CIRP 5	From Issue of RFRP till completion of CIRP: This includes updated list of claimants; updated CoC; details of the resolution applicants; details of resolution plans received; details of approval or rejection of resolution plans by CoC; application filed with AA for approval of resolution plan; details of resolution plan approved by the AA; initiation of liquidation, if applicable; expenses incurred on or by RP; appointment of professionals and the terms of appointment; relationship of the RP with the CD, Financial Creditors, and Professionals; support services taken from IPE; non-compliances with the provisions of the Code and other laws applicable to the CD; etc.	RP	Within seven days of the approval or rejection of the resolution plan under section 31 or issue of liquidation order under section 33, as the case may be, by the AA.
CIRP 6	Event Specific: This includes: a. Filing of application in respect of preferential transaction, undervalued transaction, fraudulent	IRP or RP, as the	Within seven days of the occurrence of the relevant event.

	transaction, and extortionate transaction;	case
b	. Raising interim finance;	may be.
c.	. Commencement of insolvency resolution process of	
	guarantors of the CD;	
d	. Extension of period of CIRP and exclusion of time;	
e.	. Premature closure of CIRP (appeal, settlement,	
	withdrawal, etc.);	
f.	Request for liquidation before completion of CIRP; and	
g	. Non implementation of resolution plan, as approved by	
	the AA.	

- (2) The Board shall make available the Forms on the electronic platform and may modify them from time to time.
- (3) The insolvency professional or interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, shall ensure that the Forms and its enclosures filed under this regulation are accurate and complete.
- (4) The filing of a Form under this regulation after due date of submission, whether by correction, updation or otherwise, shall be accompanied by a fee of five hundred rupees per Form for each calendar month of delay after 1st January, 2020.

Example: A Form is required to be filed by 30th January, 2020. It shall be filed along with a fee as under:

If filed on	Fee (in Rupees)
29 th January, 2020	0
30 th January, 2020	0
31 st January, 2020	500
Any day in February, 2020	1000
Any day in March, 2020	1500

- (5) The insolvency professional or interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, shall be liable to any action which the Board may take as deemed fit under the Code or any regulation made thereunder, including refusal to issue or renew Authorisation for Assignment, for-
 - (i) failure to file a form along with requisite information and records;
 - (ii) inaccurate or incomplete information or records filed in or along with a form;
 - (iii) delay in filing the form.".
- 7. In the principal regulations, in the Schedule, -
- (i) in Form B, for serial number 9 and the entries thereto, the following shall be substituted, namely:-

"9.	Details of:	
	a. any security held, the value of security and its date, or	
	b. any retention of title arrangement in respect of goods or properties to which the claim refers";	

- (ii) in Form H, -
- (a) for paragraph 7, the following shall be substituted, namely:-
- "7. The amounts provided for the stakeholders under the Resolution Plan is as under:

(Amount in Rs. lakh)

Sl.	Category of	Sub-Category of	Amount	Amount	Amount	Amount
No.	Stakeholder*	Stakeholder	Claimed	Admitted	Provided	Provided to
					under the	the Amount
					Plan#	Claimed
						(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Secured Financial	(a) Creditors not having a				
	Creditors	right to vote under sub-				

				T	
		section (2) of section 21			
		(b) Other than (a) above:			
		(i) who did not vote in			
		favour of the resolution			
		Plan			
		Fian			
		(ii) who voted in favour of			
		the resolution plan			
		Total[(a) + (b)]			
2	Unsecured Financial	(a) Creditors not having a			
	Creditors	right to vote under sub-			
		section (2) of section 21			
		(b) Other than (a) above:			
		(b) Other than (a) above.			
		(i) who did not vote in			
		favour of the resolution			
		Plan			
		(ii) who voted in favour of			
		the resolution plan			
		Total[(a) + (b)]			
3	Operational Creditors	(a) Related Party of			
	operational electrons	Corporate Debtor			
		(b) Other than (a) above:			
		(b) Other than (a) above.			
		(i) Government			
		(ii) Workmen			
		(iii) Employees			
		(iv)			
		Total[(a) + (b)]			
4	Other debts and dues				
Grand T					
				l	l

^{*}If there are sub-categories in a category, please add rows for each sub-category.

(b) in paragraph 9, for entry relating to section 30(2), the following shall be substituted, namely:-

"Section 30(2)	Whether the Resolution Plan-	
	(a) provides for the payment of insolvency resolution	
	process costs?	
	(b) provides for the payment to the operational creditors?	
	(c) provides for the payment to the financial creditors	
	who did not vote in favour of the resolution plan?	
	(d) provides for the management of the affairs of the	
	corporate debtor?	
	(e) provides for the implementation and supervision of	
	the resolution plan?	
	(f) contravenes any of the provisions of the law for the	
	time being in force?".	

[#] Amount provided over time under the Resolution Plan and includes estimated value of non-cash components. It is not NPV.";

- **Note :** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and was subsequently amended by-
 - 1) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2017 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG013, dated the 16th August, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 318 on 16th August, 2017;
 - 2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2017 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG018, dated the 5th October, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 386 on 5th October, 2017;
 - 3) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2017 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG019 dated the 7th November, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 7th November, 2017;
 - 4) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2017 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG22, dated the 31st December, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 01 on 1st January, 2018;
 - 5) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG024, dated the 6th February, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 49 on 6th February, 2018;
 - (6) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG030, dated the 27th March, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 124 on 28th March, 2018;
 - 7) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2018-19/GN/REG031, dated the 3rd July, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 253 on 4th July, 2018;
 - 8) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2018-19/GN/REG032, dated the 5th October, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 372 on 5th October, 2018;
 - 9) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2019 published *vide* notification No. IBBI/2019-20/GN/REG040, dated the 24th January, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 21 on 24th January, 2019; and
 - 10) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2019 published *vide* notification No. IBBI/2019-20/GN/REG048, dated the 25th July, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 267 on 25th July, 2019.